ए.

श्री क्षेत्रीमयम महेशकुमार सिंह और ए. एन. आर. वी.

मणिपुर विश्वविद्यालय और ओआरएस। (2022 की सिविल अपील संख्या 163)

बी.

05 जनवरी, 2022

[एल**.** नागेश्वर राव और हिमा कोहली**,** जे**.** जे**.]**

शिक्षा/शैक्षणिक संस्थान-केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 (2012 में संशोधित)-राज्य विश्वविद्यालय में सीटों का आरक्षण जिसे बाद में केंद्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया था-क्या 2012 का संशोधन अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था।3 मूल अधिनियम, 2006 के बेंच मार्क को क्रमशः 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत से कम नहीं किया जाना चाहिए-क्या संशोधन अधिनियम में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण का प्रतिशत एस. सी. और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए एस. सी. और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण का प्रतिशत एस. सी. और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण का प्रतिशत एस. सी. और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण का प्रतिशत एस. सी. और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण का प्रतिशत एस. सी. और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण का प्रतिशत एस. सी. में निर्धारित किया गया है।3 ओ. बी. सी. उम्मीदवारों के लिए आरक्षण के निर्धारित प्रतिशत को नुकसान पहुँचाने के लिए भी मूल अधिनियम को बढ़ाया जा सकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सामूहिक रूप से लिए गए कुल 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण में किसी भी तरह से बाधा न आए-आयोजितःसंशोधन अधिनियम केवल उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए अधिनियमित किया गया था जो आरक्षण अधिनियम को लागू करने में केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों के सामने आ रही थीं, जब यह मणिपुर राज्य सहित पूर्वोत्तर राज्यों में आया था।3 मूल अधिनियम और कुछ नहीं बल्कि "निर्दिष्ट पूर्वोत्तर क्षेत्र" की छत्रछाया में आने वाले पूर्वोत्तर राज्यों की जनसांख्यिकी की मान्यता है, जिसमें पर्याप्त जनजातीय आबादी है-2006 के मूल आरक्षण अधिनियम के संशोधन के बाद, मणिपुर विश्वविद्यालय को अनुसूचित जाति उम्मीदवारों के लिए 2 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए 31 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के लिए 17 प्रतिशत के आरक्षण मानदंडों का पालन करना पड़ा, जो अनुसूचित जाति के लिए दूसरे परंतुक के अनुरूप है।3 2012 के संशोधन

अधिनियम के आधार पर जोड़ा गया अभिभावक आरक्षण अधिनियम।संसदीय समितियों की रिपोर्टःकिसी कानून के अधिनियमन से पहले संसदीय समितियों/आयोगों द्वारा की गई रिपोर्ट और सिफारिशों का उपयोग जहां भी आवश्यक समझा जाए, एक वैधानिक प्रावधान में अस्पष्ट शब्दों के अर्थ की व्याख्या करने के लिए बाहरी सहायता के रूप में किया जा सकता है-यह ए भी हो सकता है

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

479

480 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 1 एस. सी. आर.

एक ऐतिहासिक तथ्य के अस्तित्व पर ध्यान दिया जाता है-साथ ही, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि ऐसी रिपोर्ट निर्णायक नहीं हैं और एक न्यायालय अपने स्वयं के निष्कर्षों और पक्षों द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्यों के आधार पर एक अलग निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए स्वतंत्र है।

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा,

बी.

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.** प्रत्यर्थी संख्या **1-**विश्वविद्यालय की स्थापना मूल रूप से वर्ष **1980** में मणिपुर विश्वविद्यालय अधिनियम संख्या **1980** के **8** के तहत एक 'राज्य विश्वविद्यालय' के रूप में की गई थी।एक राज्य विश्वविद्यालय के रूप में**,** प्रत्यर्थी संख्या **1-**विश्वविद्यालय विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अनुसूचित जाति उम्मीदवारों के लिए **2** प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए **31** प्रतिशत सीटें आरक्षित करके मणिपुर राज्य आरक्षण नीति का पालन कर रहा था।**13** अक्टूबर**, 2005** को प्रत्यर्थी संख्या **1-**विश्वविद्यालय को **2005** के मणिपुर विश्वविद्यालय अधिनियम संख्या **54** के तहत 'केंद्रीय विश्वविद्यालय' में परिवर्तित कर दिया गया था।धर्मांतरण के बाद भी**,** प्रत्यर्थी संख्या **1-**विश्वविद्यालय ने मणिपुर राज्य आरक्षण नीति का पालन करना जारी रखा**,** अर्थात**,** शैक्षणिक सत्र तक प्रवेश के लिए अनुसूचित जाति के लिए **2** प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लिए **31** प्रतिशत।**3** जनवरी**, 2007** को आरक्षण अधिनियम लागू हुआ।इसके अनुसार**,** प्रत्यर्थी संख्या **1-**विश्वविद्यालय ने आरक्षण अधिनियम की धारा **3** में निर्धारित आरक्षण नीति का

पालन करना शुरू कर दिया, जो कि शैक्षणिक सत्र के लिए अनुसूचित जाति के लिए **15** प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए **7.5** प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए **27** प्रतिशत है।**19** जून, **2012** से लागू संशोधन अधिनियम के आधार पर आरक्षण अधिनियम में संशोधन के बाद आरक्षण में बदलाव आया।**[**पैरा **20] [498-**ई**-**एच**]**

सी.

डी.

ई.

2. केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान **(**प्रवेश में आरक्षण**)** संशोधन विधेयक, **2010** को मानव संसाधन विकास पर संसदीय स्थायी समिति के समक्ष रखा गया, जिसने अपनी **234** वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे **26** फरवरी, **2011** को संसद के दोनों सदनों के समक्ष पेश किया गया था।स्थायी समिति ने आरक्षण अधिनियम में संशोधन के उद्देश्यों और कारणों के विवरण पर ध्यान दिया और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा व्यक्त आरक्षण अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में कुछ सी**.** ई**.** आई**.** द्वारा सामना की जाने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों पर भी ध्यान दिया।**[**पैरा **21,22] [499-**ए**; 500-**ई**-**एफ**]**

एफ.

जी.

3. संसदीय समितियों/आयोगों द्वारा की गई रिपोर्ट और सिफारिशें जो एक क़ानून ए के अधिनियमन से पहले की जाती हैं

एच.

जहाँ भी आवश्यक समझा जाए, एक वैधानिक प्रावधान में अस्पष्ट शब्दों के अर्थ की व्याख्या करने के लिए बाहरी सहायता के रूप में उपयोग किया जा सकता है।एक ऐतिहासिक तथ्य के अस्तित्व पर भी ध्यान दिया जा सकता है।साथ ही, ऐसी रिपोर्ट निर्णायक नहीं होती हैं और एक न्यायालय अपने स्वयं के निष्कर्षों और पक्षों द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्यों के आधार पर एक अलग निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए स्वतंत्र है।**[**पैरा **25] [502-**जी**-**एच**]4.** संशोधन विधेयक में संलग्न उद्देश्यों और कारणों के विवरण, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा स्थायी समिति को प्रस्तुत पृष्ठभूमि टिप्पणियों और संसद में स्थायी समिति द्वारा प्रस्तुत **234** वीं रिपोर्ट से यह पता लगाया जा सकता है कि कुछ सी**.** ई**.** आई**.,** विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित आदिवासी आबादी वाले, ने आरक्षण अधिनियम में निर्धारित अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए **27** प्रतिशत

सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण की सीमा को कम करने में असमर्थता व्यक्त की। यह भी देखा जा सकता है कि आरक्षण अधिनियम के प्रावधानों ने संविधान की छठी अनुसूची में निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों में स्थित सी**.** ई**.** आई**.** को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी आरक्षण देने से छूट दी**,** जो वास्तव में**,** अधिनियम को लागू करने के पीछे का उद्देश्य नहीं था।इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि पूर्वोत्तर राज्यों में जनसंख्या की संरचना को प्राथमिकता दी जानी चाहिए**,** स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण की सीमा निश्चित हो सकती है**,** लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण अलग**-**अलग राज्यों में भिन्न हो सकता है।अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की **50** प्रतिशत सीमा और अन्य पिछड़ा वर्ग कोटे के लिए **27** प्रतिशत की सीमा का मिलान करने के विचार के साथ**,** संशोधन विधेयक को मुख्य रूप से मौजूदा अस्पष्टताओं को दूर करने और छठी अनुसूची राज्यों में स्थापित सी**.** ई**.** आई**.** द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए पेश किया गया था**,** ताकि उस क्षेत्र में एक बड़ी आदिवासी आबादी की आकांक्षाओं को समायोजित किया जा सके।**[**पैरा **26] [503-**सी**-**एफ**]**

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

5. उपरोक्त पृष्ठभूमि में**,** अपीलार्थियों को यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता है कि संशोधन अधिनियम को लागू करके आरक्षण अधिनियम में लाए गए संशोधन केवल संविधान की छठी अनुसूची द्वारा कवर किए गए आदिवासी राज्यों की ओर निर्देशित थे और इन्हें मणिपुर राज्य पर लागू नहीं किया जा सकता है**,** भले ही "निर्दिष्ट पूर्वोत्तर" अभिव्यक्ति की परिभाषा हो।

जी.

एच.

संशोधित धारा **2 (**आई**.** ए**.)** के आधार पर शुरू किया गया क्षेत्र मणिपुर राज्य को शामिल करता है।न ही यह न्यायालय अपीलार्थियों की ओर से की गई प्रस्तुति से आश्वस्त है कि दूसरा परंतुक केवल यह सुनिश्चित करने के लिए धारा **3** में डाला गया था कि मूल अधिनियम की धारा **3 (i)** और **(ii)** में परंतुक किए गए आरक्षण का प्रतिशत अछूता रहेगा।इस तरह की प्रस्तुति को स्वीकार करना संशोधन अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य को नकारने के समान

होगा, जिसे केवल मणिपुर राज्य सहित पूर्वोत्तर राज्यों में आरक्षण अधिनियम को लागू करने में सी. ई. आई. द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को हल करने के लिए अधिनियमित किया गया था।मूल अधिनियम की धारा **3** में जोड़े गए दो प्रावधान और कुछ नहीं बल्कि पूर्वोत्तर राज्यों की जनसांख्यिकी की मान्यता हैं।

बी.

सी.

"निर्दिष्ट उत्तर पूर्वी क्षेत्र" की छत्रछाया जिसमें एक है

पर्याप्त जनजातीय आबादी।**[**पैरा **27] [503-**जी-एच**; 504-**ए-डी**]6.** एक बार संशोधन अधिनियम के आधार पर मूल अधिनियम की धारा **3** में दो प्रावधान जोड़े जाने के बाद**,** मूल अधिनियम की धारा **3** के खंड **(i), (ii)** और **(iii)** में निर्धारित आरक्षण के सामान्य मानदंडों को उक्त प्रावधानों के संदर्भ में प्रतिबंधित करना पड़ा।जबकि पहला परंतुक संविधान की छठी अनुसूची में निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों में स्थित सी. ई. आई. में "राज्य की सीटों"**,** यदि कोई हो**,** से संबंधित है**,** दूसरा परंतुक ऐसी स्थिति को संबोधित करता है जहां सी. ई. आई. में कोई राज्य की सीटें नहीं हैं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटें धारा **3 (**अर्थात**)** के खंड **(i)** और **(ii)** के तहत निर्दिष्ट प्रतिशत से अधिक हैं।**, 15%** एस. सी. के लिए सीटें और एस. टी. के लिए **7.5%,** कुल **22.5%** सीटें**)** या यदि एस. सी. और एस. टी. उम्मीदवारों के लिए आरक्षित संयुक्त सीटें खंड **(i)** और **(ii)** के तहत निर्दिष्ट प्रतिशत के योग से अधिक हैं।धारा **3** के दूसरे परंतुक में दो सवारों को भी जोड़ा गया है**,** अर्थात् खंड **(**ए**)** और **(**बी**)**।दूसरे परंतुक के खंड **(**ए**)** में ऐसी स्थिति पर विचार किया गया है जहां दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट सीटें संशोधन अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तुरंत पहले की तारीख को वार्षिक अनुमत संख्या के **50** प्रतिशत से कम हों। खंड **(**बी**)** एक ऐसी स्थिति के लिए परंतुक करता है जहां ऐसी सीटें संशोधन अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तुरंत पहले की तारीख को वार्षिक अनुमत संख्या के **50** प्रतिशत से अधिक हों। दूसरे परंतुक के खंड **(**ए**)** में विचार की गई स्थिति में**,** ए

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

483

श्री क्षेत्रीमयम महेशकुमार सिंह बनाम मणिपुर विश्वविद्यालय [हिमा कोहली, जे.] ए.

मूल अधिनियम की धारा **3 (iii)** के तहत ओ**.** बी**.** सी**.** उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होने के लिए आवश्यक सीटों के कुल प्रतिशत पर प्रतिबंध लगाया गया है**,** उन्हें मूल अधिनियम की धारा **3** के खंड **(i)** और **(ii)** में निर्दिष्ट सीटों के संयुक्त प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध शेष सीटों तक सीमित कर दिया गया है**,** जो वार्षिक अनुमत संख्या के **50** प्रतिशत से कम है।लेकिन खंड **(**बी**)** में विचार की गई परिस्थितियों में**,** अधिनियम इस तथ्य को मान्यता देता है कि मूल अधिनियम की धारा **3** के खंड **(iii)** के तहत ओ**.** बी**.** सी**.** उम्मीदवारों के लिए कोई सीट आरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि**,** यह इस शर्त के अधीन है कि एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए सीटों के आरक्षण की सीमा को कम नहीं किया जाएगा जब यह "निर्दिष्ट पूर्वोत्तर क्षेत्र" में स्थापित सीईआई की बात आती है।यह दर्शाता है कि संशोधन अधिनियम का अंतर्निहित उद्देश्य उम्मीदवारों के एक समूह के लिए आरक्षण के माध्यम से सीटों का एक विशेष प्रतिशत सुरक्षित करना था और संशोधित धारा **3** के दूसरे परंतुक के खंड **(**ए**)** और **(**बी**)** में विचार की गई परिस्थितियों के आधार पर ओ**.** बी**.** सी**.** उम्मीदवारों के लिए सीटों की सीमा के लिए कुछ जगह छोड़ना था।**[**पैरा **30] [506-**ए**-**जी**]**

बी.

सी.

डी.

7. तत्काल मामले में**,** प्रत्यर्थी ने अपने हलफनामे में स्पष्ट किया है कि आरक्षण अधिनियम के शुरू होने से पहले**,** अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण का प्रचलित प्रतिशत क्रमशः **31** प्रतिशत और **2** प्रतिशत था।अपीलार्थी द्वारा इसके विपरीत कुछ भी सामने नहीं लाया गया है।यह स्थिति होने के कारण**,** प्रत्यर्थी **(**आई**.** डी**. 1)** ने अनुसूचित जनजाति**,** अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के संबंध में क्रमशः **31** प्रतिशत**, 2** प्रतिशत और **17** प्रतिशत सीटें आरक्षित करके आरक्षण अधिनियम के प्रारंभ से तुरंत पहले प्राप्त करने वाले पद पर वापस लौटने में सही था**,** जो मणिपुर राज्य आरक्षण नीति के अनुरूप था।**[**पैरा **31] [506-**जी**-**एच**; 507-**ए**-**बी**]**

ई.

एफ.

8. ओ**.** बी**.** सी**.** उम्मीदवारों के लिए आरक्षण कोटा निर्धारित करने की अवधि का संदर्भ बिंदु एस**.** सी**.** और एस**.** टी**.** उम्मीदवारों के समान ही होना चाहिए क्योंकि साधारण कारण यह है कि ओ**.** बी**.** सी**.** उम्मीदवारों के लिए आरक्षण कोटा तैयार करने के लिए अनिवार्य रूप से पहली बार में यह पता लगाने की आवश्यकता होगी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए वार्षिक अनुमत संख्या के **50** प्रतिशत और संयुक्त मौजूदा

प्रतिशत के बीच क्या अंतर होगा, जैसा कि आरक्षण कोटा निर्धारित करने से ठीक पहले की तारीख को प्राप्त किया गया था।

जी.

एच.

आरक्षण अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि। दोनों मुद्दे इतने परस्पर जुड़े हुए हैं कि ओ. बी. सी. उम्मीदवारों के लिए आरक्षण का प्रतिशत निर्धारित करने के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटों का प्रतिशत निर्धारित करने की कवायद शुरू करनी होगी, जो सभी मूल अधिनियम की धारा **3** में जोड़े गए दूसरे परंतुक के चार कोनों के भीतर हैं। संशोधन के बाद जोड़ी गई धारा **3** के दूसरे परंतुक को सौंपी जाने वाली कोई अन्य व्याख्या, परंतुक को ही अव्यवहारिक और निरर्थक बना देगी और इसलिए, इसकी अनुमति नहीं है।इस प्रकार, आरक्षण के सामान्य नियमों को मूल अधिनियम की धारा **3** के खंड **(i), (ii)** और **(iii)** में समाहित किया गया है। लेकिन जब संशोधन अधिनियम द्वारा शुरू की गई धारा **2 (**आई. ए.**)** में वर्गीकृत "निर्दिष्ट पूर्वोत्तर क्षेत्र" की परिभाषा के तहत आने वाले राज्यों में स्थापित सी. ई. आई. की बात आती है, तो धारा **3** में जोड़े गए दो नए प्रावधान आरक्षण के मानदंडों को नियंत्रित करेंगे, जो मुख्य प्रावधान की तुलना में एक अलग मानदंड निर्धारित करते हैं और इस बात पर ध्यान दिए बिना लागू होंगे कि वे संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में स्थित हैं या नहीं।आरक्षण अधिनियम में संशोधन के बाद, प्रत्यर्थी संख्या **1-**विश्वविद्यालय को अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए **2** प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए **31** प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए **17** प्रतिशत के आरक्षण मानदंडों का पालन करना पड़ा, जो संशोधन अधिनियम के आधार पर जोड़े गए आरक्षण अधिनियम की धारा **3** के दूसरे परंतुक के अनुरूप है। **[**पारस **33,34] [507-**ई-एच**; 508-**ए-बी, सी-डी**]**

बी.

सी.

डी.

ई.

मैसूर राज्य बनाम आर. वी. बिदप **(1974) 3** एस. सी. सी. **337:[1974] 1** एससीआर **589;** आर. एस. नायक बनाम ए. आर. अंतुले **(1984) 2** एस. सी. सी. **183:[1984] 2** एस. सी. आर. **495;** कल्पना मेहता और अन्य।भारत संघ और अन्य **(2018) 7** एस. सी. सी. **1:[2018]**

एफ.

4 एस**.** सी**.** आर**. 1-**संदर्भित।

संदर्भित निर्णय

[1974] 1 एससीआर **589**

संदर्भित किया गया है

पैरा **25**

जी.

[1984] 2 एससीआर **495**

संदर्भित किया गया है

पैरा **25**

[2018] 4 एससीआर **1**

संदर्भित किया गया है

पैरा **25** ए

एच.

485

श्री क्षेत्रीमयम महेशकुमार सिंह बनाम मणिपुर विश्वविद्यालय [हिमा कोहली, जे.] ए.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.163

2022.

इम्फाल में मणिपुर उच्च न्यायालय के 21.08.2017 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2014 का डब्ल्यू. पी. (सी) No.753।

बी.

सुश्री पूनम कुमारी, सपम विश्वजीत मेइतेई, अधिवक्तागण अपीलार्थियों के लिए।

संजय जैन, एएसजी, संजय कुमार दुबे, सुश्री शुचि सिंह, कृष्ण कांत दुबे, विवेक कुमार पांडे, राकेश कुमार तिवारी, पंकज सिंह, गुरमीत सिंह मक्कर, अपूर्व कुरुप, कुश चतुर्वेदी, सुश्री स्वरूपमा चतुर्वेदी, अनुकल्प जैन, बालाजी श्रीनिवासन, आशुतोष दुबे, अभिषेक चौहान, सुश्री

राजश्री दुबे, अरुण नागर, अमित पी. शाही, शिवेंद्र द्विवेदी, राजेश महाले, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

सी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डी.

हिमा कोहली, जे.

छुट्टी दे दी गई।

1. अपीलार्थियों 21 अगस्त, 2017 को इम्फाल में मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा 2014 की लिखित याचिका (सी) संख्या 753 में पारित निर्णय से व्यथित हैं, जिसके तहत, अन्य बातों के अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006-1 में संशोधन के बाद, वर्ष 2012 में, केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2012-2 लागू होने पर, प्रत्यर्थी संख्या 1-मणिपुर विश्वविद्यालय 3 को विश्वविद्यालय में प्रवेश के उद्देश्यों के लिए अनुसूचित जाति (एससी) के उम्मीदवारों के लिए 2 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए 31 प्रतिशत और अन्य पिछड़े वर्गों (ओ. बी. सी.) के लिए 17 प्रतिशत के आरक्षण मानदंडों का पालन करना आवश्यक है।2. वर्तमान अपील में उठाए गए मुद्दे को प्रासंगिक बनाने के लिए, मामले के प्रासंगिक तथ्यों को संक्षेप में संदर्भित करना आवश्यक है।प्रत्यर्थी नं. 1-विश्वविद्यालय को शुरू में मणिपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1980 के तहत एक 'राज्य विश्वविद्यालय' के रूप में स्थापित किया गया था जो 05 जून, 1980 को लागू हुआ था।वर्ष 2005 में मणिपुर विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया गया था, जिसके बाद प्रत्यर्थी संख्या 1-विश्वविद्यालय को 'राज्य' से परिवर्तित कर दिया गया था।

ई.

एफ.

जी.

1 संक्षेप में "आरक्षण अधिनियम" 2 संक्षेप में "संशोधन अधिनियम" 3 "विश्वविद्यालय"

एच.

विश्वविद्यालय को 13 अक्टूबर, 2005 से 'केंद्रीय विश्वविद्यालय' बनाया गया।04 जनवरी, 2007 को आरक्षण अधिनियम अधिसूचित किया गया था।उक्त अधिनियम की धारा 3 ने केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में सीटों के आरक्षण को निर्धारित किया और निम्नानुसार निर्धारित किया:

"3. केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में सीटों का आरक्षण।**–**

बी.

केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश और उसके विस्तार में सीटों का आरक्षण निम्नलिखित तरीके से प्रदान किया जाएगा, अर्थात्:-

i अध्ययन की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुमत संख्या से बाहर

सी.

या संकाय, पंद्रह प्रतिशत।अनुसूचित जातियों के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी।

(ii) अध्ययन की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुमत संख्या से बाहर

या संकाय, साढ़े सात प्रतिशत।अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी।

डी.

iii.अध्ययन की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुमत संख्या से बाहर

या संकाय, सत्ताईस प्रतिशत।अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी।"

[जोर दिया गया]

3. अभिव्यक्ति "वार्षिक अनुमत शक्ति से बाहर"

ई.

उपरोक्त धारा 3 में निर्दिष्ट, धारा 2 (बी) में निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया गया है:

"2. परिभाषाएँ:-

इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो,-XXX

एफ.

बी।" वार्षिक अनुमत संख्या "से किसी केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान में छात्रों के प्रवेश के लिए उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अधिकृत अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में शिक्षण या निर्देश के लिए किसी पाठ्यक्रम या कार्यक्रम में सीटों की संख्या अभिप्रेत है।

जी.

XXX XXX "

4. शैक्षणिक वर्ष 2009-10 के बाद से, प्रत्यर्थी संख्या 1-विश्वविद्यालय ने आरक्षण अधिनियम में निर्धारित आरक्षण मानदंडों का पालन करना शुरू कर दिया। 20 जून, 2012 को उपरोक्त क़ानून में संशोधन अधिनियम के आधार पर संशोधन किया गया था और उक्त संशोधन के परिणामस्वरूप, ए

एच.

487

श्री क्षेत्रीमयम महेशकुमार सिंह बनाम मणिपुर विश्वविद्यालय [हिमा कोहली, जे.] ए.

खंड (आई. ए.) और (आई. बी.) धारा 2 में अंतःस्थापित किए गए थे, अर्थात परिभाषा खंड और दो प्रावधान धारा 3 में अंतःस्थापित किए गए थे।इसके अलावा, धारा 4 के खंड (ए) को हटा दिया गया और धारा 5 की उप-धारा (1) और (2) में संशोधन किया गया।उपरोक्त संशोधन अधिनियम, 2012, जो वर्तमान अपील में उठाई गई शिकायत का आधार है, तैयार संदर्भ के लिए नीचे दिया गया हैः

बी.

"केंद्रीय शैक्षिक संस्थान **(**प्रशासन में संरक्षण**)** संशोधन अधिनियम**, 2012**

नहीं। **2012** का **31 [19** जून**, 2012]** प्रस्तावनीय

सी.

केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 में संशोधन करने के लिए एक अधिनियम, चाहे वह भारत गणराज्य के 63 वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया गया होः- खंड -1. संक्षिप्त शीर्षक।-इस अधिनियम को केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2012 कहा जा सकता है।

डी.

खंड -2. धारा 2 का संशोधन-धारा 2 में

केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 (2007 का 5) (इसके बाद मूल अधिनियम के रूप में संदर्भित), खंड (i) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़े जाएंगे, अर्थात्ः-

ई.

((क**)** "विनिर्दिष्ट पूर्वोत्तर क्षेत्र" से संविधान की छठी अनुसूची में निर्दिष्ट अरुणाचल प्रदेश**,** मणिपुर**,** मेघालय**,** मिजोरम**,** नागालैंड**,** सिक्किम**,** त्रिपुरा राज्यों और असम के जनजातीय क्षेत्रों का क्षेत्र अभिप्रेत है**;**

एफ.

((i) किसी केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान के संबंध में "राज्य की सीटें" से अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुमत संख्या में से ऐसी सीटें, यदि कोई हों, जो उस राज्य के पात्र छात्रों में से भरी जानी हैं जिसमें ऐसा संस्थान स्थित है;

जी.

खंड-3.धारा 3 का संशोधन।- धारा 3 में

मूल अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान जोड़े जाएंगे, अर्थात्:- "बशर्ते कि छठे अनुच्छेद में निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों में स्थित केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान में राज्य की सीटें, यदि कोई हों,

एच.

संविधान की अनुसूची अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए ऐसी आरक्षण नीति द्वारा शासित होगी, जिसे राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, जहां ऐसी संस्था स्थित है:

बशर्ते कि यदि किसी केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान में कोई राज्य की सीटें नहीं हैं और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटें खंड **(i)** के तहत निर्दिष्ट प्रतिशत से अधिक हैं या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें खंड **(ii)** के तहत निर्दिष्ट प्रतिशत से अधिक हैं या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें कुल मिलाकर खंड **(i)** और **(ii)** के तहत निर्दिष्ट प्रतिशत के योग से अधिक हैं**,** लेकिन ऐसी सीटें हैं**-(**क**)** पचास प्रतिशत से कम।इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तुरंत पहले की तारीख को वार्षिक अनुमत संख्या में से**,** खंड **(iii)** के तहत अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किए जाने के लिए आवश्यक सीटों का कुल प्रतिशत इस हद तक सीमित होगा कि खंड **(i)** और **(ii)** के तहत निर्दिष्ट प्रतिशत की राशि पचास प्रतिशत से कम हो।वार्षिक अनुमत शक्ति**,**

बी.

सी.

डी.

((ख) पचास प्रतिशत से अधिक।इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तुरंत पहले की तारीख को वार्षिक अनुमत संख्या में से, उस मामले में खंड (iii) के तहत अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं की जाएगी, लेकिन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के

लिए सीटों के आरक्षण की सीमा निर्दिष्ट पूर्वोत्तर क्षेत्र में केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों के संबंध में कम नहीं की जाएगी।".

ई.

एफ.

खंड -4. धारा 4 का संशोधन।-धारा 4 में

मूल अधिनियम, खंड (ए) को हटा दिया जाएगा।

खंड -5. धारा 5 का संशोधन।-धारा 5 में

मूल अधिनियम, (क) उप-धारा (1) में "उपलब्ध ऐसी सीटों की संख्या" शब्दों के स्थान पर "उपलब्ध या वास्तव में भरी गई ऐसी सीटों की संख्या, जहां कहीं भी कम हो," शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

जी.

(ख) उप-धारा (2) में "तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर "छह वर्ष" शब्द रखे जाएँगे।"

[जोर दिया गया] ए

एच.

489

श्री क्षेत्रीमयम महेशकुमार सिंह बनाम मणिपुर विश्वविद्यालय [हिमा कोहली, जे.] ए.

5. आरक्षण अधिनियम की धारा 3 के तहत किए गए आरक्षण के प्रावधान पर भरोसा करते हुए, प्रत्यर्थी संख्या 1-विश्वविद्यालय ने अध्यादेश 5.2 जारी किया, जो विश्वविद्यालय में प्रवेश से संबंधित नियम निर्धारित करता है और अध्यादेश 5.4 दोनों वर्ष 2014 में विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए सीटों के आरक्षण और अन्य विशेष प्रावधानों से संबंधित है।अध्यादेश 5 का नियम 18 इस प्रकार हैः

बी.

" 18. 15% विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित शैक्षणिक कार्यक्रमों में से कुछ सीटें अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए**,** अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए **7-1/2%** और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए **27%** आरक्षित होंगी।

सी.

बशर्ते कि इस धारा की कोई भी बात विश्वविद्यालय को महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों या समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित व्यक्तियों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित

जनजातियों और नागरिकों के अन्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान करने से रोकने वाली नहीं मानी जाएगी।

डी.

बशर्ते कि अधिवास के आधार पर ऐसा कोई विशेष प्रावधान नहीं किया जाएगा।"

[जोर दिया गया]6. अध्यादेश 5.4 का नियम 1 सीटों के आरक्षण से संबंधित है, जबकि नियम 2 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के छात्रों के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित है।प्रत्यर्थी संख्या 1-विश्वविद्यालय ने अध्यादेश 5.4 के नियम 2 में निम्नानुसार निर्धारित किया हैः

ई.

"2. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति

22.5% सभी पाठ्यक्रमों में सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए निम्नलिखित क्रम में आरक्षित की जाएंगीः

एफ.

2.1 15% अनुसूचित जातियों और **7.5** प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी।**27%** सीटें ओ**.** बी**.** सी**.** के लिए आरक्षित की जाएंगी।

7. शैक्षणिक वर्ष 2014-15 के लिए, प्रत्यर्थी संख्या 1-विश्वविद्यालय ने एक विवरण पत्रिका जारी की, जिसमें कहा गया कि सीटें भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार आरक्षित की जाएंगी। 24 जुलाई, 2014 की प्रेस विज्ञप्ति में, प्रत्यर्थी संख्या 1-विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया कि शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रवेश आयोजित करने के लिए अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए 2 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए 31 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए 17 प्रतिशत तक आरक्षण प्रदान किया जाएगा।

जी.

एच.

8. उन्हें प्रवेश देने से इनकार करने से नाराज, अपीलार्थियों, जो अनुसूचित जाति श्रेणी के उम्मीदवार हैं और जिन्होंने विभिन्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन विद्वान था,

उन्होंने अनुसूचित जाति श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण को 15 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत करने पर सवाल उठाया, जैसा कि आरक्षण अधिनियम की धारा 3 में निर्धारित विद्वान गया है और मणिपुर उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की, जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 1 सितंबर, 2015 के आदेश के माध्यम से निपटाया गया था, जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण का प्रतिशत, जैसा कि आरक्षण अधिनियम के प्रारंभ से पहले प्रत्यर्थी संख्या 1-विश्वविद्यालय पर लागू विद्वान गया था, को आरक्षित श्रेणियों के लिए आरक्षण के प्रतिशत के निर्धारण के लिए अपनाया जाएगा।यह विशेष रूप से निर्देश दिया गया था कि विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आरक्षण का प्रतिशत क्रमशः 2 प्रतिशत, 31 प्रतिशत और 17 प्रतिशत होगा।हालाँकि, न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 1-विश्वविद्यालय द्वारा आरक्षित के रूप में अधिसूचित सीटों की वास्तविक गणना में जाने से इनकार कर दिया और खुद को सीटों के आरक्षण के प्रतिशत के निर्धारण के लिए अपनाए जाने वाले सिद्धांतों तक सीमित कर दिया, जिसके आधार पर सीटों की गणना की जानी थी।

बी.

सी.

डी.

9. 1 सितंबर, 2015 के उपरोक्त फैसले से असंतुष्ट अपीलार्थियों ने इम्फाल में मणिपुर उच्च न्यायालय के समक्ष 2015 की रिट अपील संख्या 40 दायर की।चूंकि उक्त न्यायालय में न्यायाधीशों की कमी के कारण कोई खंड पीठ उपलब्ध नहीं थी, इसलिए इस न्यायालय के समक्ष स्थानांतरण याचिका दायर करने का सहारा लिया गया, जिसे अनुमति दी गई और शीर्षक वाली रिट अपील को एक खंड पीठ द्वारा निर्णय के लिए शिलांग में मेघालय उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया और इसे 2016 की रिट अपील संख्या 83 के रूप में फिर से क्रमांकित किया गया।

ई.

एफ.

10. 20 अप्रैल, 2017 के फैसले के माध्यम से, मेघालय उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए मणिपुर उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश को वापस भेज दिया और उक्त न्यायालय से आरक्षण अधिनियम की धारा 3 के दूसरे परंतुक (संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित) और प्रत्यर्थी संख्या 1-विश्वविद्यालय द्वारा घोषित अध्यादेश 5 और 4 के प्रभाव के आलोक में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के लिए आरक्षण के प्रतिशत की जांच करने और निर्णय लेने का आह्वान विद्वान ।यह रिमांड पर है कि 21 अगस्त, 2017 का विवादित फैसला मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, जिसका समापन पैरा तैयार संदर्भ के लिए नीचे निकाला गया हैः

जी.

एच.

491

श्री क्षेत्रीमयम महेशकुमार सिंह बनाम मणिपुर विश्वविद्यालय [हिमा कोहली, जे.] ए.

ए.

“[71] यह न्यायालय तदनुसार निष्कर्ष निकालता है और निम्नलिखित निर्देश देता हैः(i) यह न्यायालय, जैसा कि माननीय खंड पीठ ने भी अभिनिर्धारित किया है कि दूसरा परंतुक निर्दिष्ट पूर्वोत्तर क्षेत्र के भीतर राज्यों में स्थित संस्थानों में ओ. बी. सी. के लिए आरक्षण के प्रतिशत को निर्धारित करने के लिए सूत्र प्रदान करता है, जिसे 2006 के अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ठीक पहले की तारीख को मौजूद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रतिशत के आंकड़ों के आधार पर तैयार किया जाना है।

बी.

((ii) यह 2006 के अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ठीक पहले की तारीख को मौजूद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रतिशत के आंकड़ों का यह समूह है और इसका उपयोग अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रतिशत निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जो केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2012 द्वारा केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 के संशोधन के बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रवेश के लिए आरक्षण का प्रतिशत भी होगा और संस्थान या मणिपुर विश्वविद्यालय अब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण निर्धारित करने के लिए धारा 3 के खंड (i) और (ii) को अलग से लागू नहीं कर सकता है।

सी.

डी.

(iii) वर्ष 2012 में संशोधित केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 में न तो यह प्रावधान है और न ही माननीय खंड पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया था कि 2006 के अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ठीक पहले की तारीख को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रतिशत के उपरोक्त आंकड़ों का पता लगाने और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रतिशत निर्धारित करने के लिए उपयोग करने के बाद, इस सेट को हटा दिया जाना चाहिए और संस्थान को नजरअंदाज कर दिया जाना चाहिए।(इस मामले में मणिपुर विश्वविद्यालय) 2012 में केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 के संशोधन के बाद दूसरे परंतुक के तहत उपयोग किए गए आंकड़ों से स्वतंत्र रूप से अनुसूचित

जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का निर्धारण करने के लिए धारा 3 के खंड (i) और (ii) पर वापस जा सकता है।

ई.

एफ.

जी.

न तो अधिनियम और न ही माननीय खंड पीठ ने कहा है कि 2012 में संशोधन के बाद अधिनियम की धारा 3 के दूसरे परंतुक के तहत ओ. बी. सी. के लिए आरक्षण के प्रतिशत का पता लगाने के लिए दिए गए सूत्र के बावजूद, संस्थान को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रतिशत निर्धारित करने के लिए अधिनियम की धारा 3 के खंड (i) और (ii) को लागू करना होगा।

एच.

(iv) दूसरा परंतुक विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए निर्दिष्ट पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों के लिए जोड़ा गया था, विशेष रूप से जैसा कि दूसरे परंतुक के खंड (बी) से स्पष्ट है।यह अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करता है, जहां भी उनके आरक्षण का प्रतिशत अधिनियम की धारा 3 के खंड (ii) के तहत निर्धारित प्रतिशत से अधिक है। अधिनियम में विशेष रूप से प्रावधान किया गया है कि भले ही अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों की सीटों के आरक्षण की सीमा अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तुरंत पहले की तारीख को वार्षिक अनुमत संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक हो, खंड (3) के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नहीं होगा, लेकिन अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण की सीमा में कमी नहीं की जाएगी।

बी.

सी.

(v) संस्थान को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए प्रवेश के लिए आरक्षण का प्रतिशत केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 के आधार पर निर्धारित करना है, न कि किसी अन्य कानून के आधार पर।वर्तमान मामले में, मणिपुर विश्वविद्यालय को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रतिशत केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 के

आधार पर तय करना है, जैसा कि 2012 में संशोधित किया गया था और न कि मणिपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 की धारा 31 (1) (ए) या किसी अन्य प्रावधान के आधार पर क्योंकि मणिपुर विश्वविद्यालय अधिनियम अब केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन के बाद आरक्षण के प्रतिशत को निर्धारित करने के लिए प्राधिकरण का स्रोत नहीं है।

डी.

ई.

(vi) केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2012 द्वारा संशोधित केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 का उल्लेख करके और मणिपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 के किसी भी प्रावधान का उल्लेख नहीं करके मणिपुर विश्वविद्यालय द्वारा आरक्षण मानदंड को अपनाया जाना चाहिए।

एफ.

(vii) तदनुसार, मणिपुर विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए/जारी किए गए प्रवेश के लिए आरक्षण के प्रतिशत परंतुक करने वाले किसी भी क़ानून या अध्यादेश या किसी भी नियम या अधिसूचना को अनुसूचित जातियों के लिए 2 प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियों के लिए 31 प्रतिशत और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 17 प्रतिशत के उपरोक्त मानदंड के अनुरूप होना चाहिए।

जी.

एच.

493

श्री क्षेत्रीमयम महेशकुमार सिंह बनाम मणिपुर विश्वविद्यालय [हिमा कोहली, जे.] ए.

केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 जैसा कि 2012 में संशोधित किया गया था।उपरोक्त के अनुरूप नहीं होने वाला कोई भी अन्य मानदंड केंद्रीय शिक्षा संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 के उल्लंघन में अमान्य होगा, जैसा कि 2012 में संशोधित किया गया था।

(viii) जहां तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के प्रतिशत का निर्धारण करने का संबंध है, मणिपुर विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए अध्यादेश 5.2 और 5.4 वैध नहीं हैं।इसलिए, जहां तक मणिपुर विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के प्रतिशत के निर्धारण के मुद्दे का संबंध है, इनका कोई मूल्य, मूल्य या प्रभाव नहीं है।

बी.

सी.

(ix) किसी भी स्थिति में, इन अध्यादेशों द्वारा यह नहीं दिखाया गया है कि कैसे मणिपुर विश्वविद्यालय ने ओ. बी. सी. के लिए आरक्षण का प्रतिशत 27 प्रतिशत निर्धारित किया था, जबकि दूसरे परंतुक के तहत विशेष रूप से ओ. बी. सी. के लिए और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षण का प्रतिशत निर्धारित किया गया था। उस हद तक, ये अध्यादेश मनमानेपन के दुष्प्रभाव से भी ग्रस्त हैं।

डी.

(x) छात्रों के प्रवेश के लिए आरक्षण के प्रतिशत के निर्धारण के अलावा अन्य मामलों से संबंधित इन अध्यादेशों की वैधता, इस याचिका में एक मुद्दा नहीं होने के कारण, उचित मामले में निर्णय लेने के लिए खुला छोड़ दिया गया है।

ई.

(xi) केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान **(**प्रवेश में आरक्षण**)** अधिनियम**, 2006** के कार्यान्वयन से पहले**,** मणिपुर विश्वविद्यालय अनुसूचित जातियों के लिए **2** प्रतिशत**,** अनुसूचित जनजातियों के लिए **31** प्रतिशत और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए **17** प्रतिशत के आरक्षण मानदंड का पालन कर रहा था।

एफ.

(xii) केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान **(**प्रवेश में आरक्षण**)** अधिनियम**, 2006** के कार्यान्वयन के बाद**,** मणिपुर विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक वर्ष से अधिनियम की धारा **3** के खंड **(i), (ii)** और **(iii)** के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए **15** प्रतिशत**,** अनुसूचित जनजातियों के लिए **7.5** प्रतिशत और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए **27** प्रतिशत तक आरक्षण मानदंड का पालन करना शुरू कर दिया।

जी.

(xiii) केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों द्वारा **2012** में केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान **(**प्रवेश में आरक्षण**)** अधिनियम**, 2006** में संशोधन के बाद

एच.

(प्रवेश में आरक्षण**)** संशोधन अधिनियम**, 2012,** मणिपुर विश्वविद्यालय को अनुसूचित जातियों के लिए **2** प्रतिशत**,** अनुसूचित जनजातियों के लिए **31** प्रतिशत और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए **17** प्रतिशत के आरक्षण मानदंड का पालन करना होगा।**”**

[जोर दिया गया]11. अपीलार्थियों विद्वान अधिवक्ता सुश्री पूनम कुमारी ने विवादित फैसले पर यह तर्क देते हुए हमला किया कि उच्च न्यायालय ने यह विचार रखने में गलती की है कि संशोधन अधिनियम के माध्यम से डाला गया परंतुक राज्यों में स्थित केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान 4 पर लागू होगा।

बी.

"एस निर्दिष्ट उत्तर पूर्वी क्षेत्र" के अंतर्गत आता है और इसका विस्तार

आरक्षण का निर्धारण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रतिशत के आंकड़ों के आधार पर किया जाना चाहिए, जैसा कि आरक्षण अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से ठीक पहले की तारीख को मौजूद था। उनका कहना है कि संशोधन अधिनियम द्वारा लाए गए संशोधन केवल भारत के संविधान की छठी अनुसूची 5 के दायरे में आने वाले आदिवासी राज्यों के संबंध में हैं और मूल अधिनियम (आरक्षण अधिनियम) की संशोधित धारा 2 (आई. ए.) में परिभाषित "निर्दिष्ट पूर्वोत्तर क्षेत्र" के तहत आने वाले मणिपुर जैसे राज्य सहित अन्य राज्यों के संबंध में नहीं हैं।

सी.

डी.

12. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने संशोधित धारा 2 (आई. ए.) जो "निर्दिष्ट पूर्वोत्तर क्षेत्र" को परिभाषित करती है और संशोधन अधिनियम के आधार पर संशोधित धारा 3 के बीच अंतर करने का आग्रह करते हुए कहा कि धारा 2 के खंड (आई. ए.) को केवल सभी पूर्वोत्तर राज्यों को एक साथ समूह में डालने के लिए जोड़ा गया है, चाहे वे संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत आते हों या नहीं, जबकि धारा 3 एक आदिवासी राज्य के लिए एक अलग प्रावधान करती है।उन्होंने कहा कि दूसरा परंतुक धारा 3 में केवल यह सुनिश्चित करने के लिए जोड़ा गया था कि आरक्षण अधिनियम की धारा 3 (i) और (ii) में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रतिशत क्रमशः 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत परंतुक किया गया है और इसे बनाए रखा जाना चाहिए, न कि इसे बढ़ाया या घटाया जा सकता है।

ई.

एफ.

"निर्दिष्ट पूर्वोत्तर क्षेत्र" में सी. ई. आई.।यह बताया गया था कि

जी.

धारा 2 (आई. ए.) में "निर्दिष्ट पूर्वोत्तर क्षेत्र" के रूप में परिभाषित राज्यों के समूह को संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के हितों की रक्षा के विशिष्ट उद्देश्य से बनाया गया है।

4 संक्षेप में "सी. ई. आई".

5 संक्षेप में "संविधान"

एच.

495

श्री क्षेत्रीमयम महेशकुमार सिंह बनाम मणिपुर विश्वविद्यालय [हिमा कोहली, जे.] ए.

ए.

अन्य पूर्वोत्तर राज्य जो जनजातीय राज्य नहीं हैं और उक्त प्रावधान के विपरीत, प्रत्यर्थी संख्या 1-विश्वविद्यालय ने अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए सीटों का कोटा कम कर दिया है, जो अस्वीकार्य है।

13. अपीलार्थियों की ओर से आगे यह इंगित करने की मांग की गई कि आरक्षण अधिनियम की धारा 3 में संशोधन केवल इसलिए आवश्यक था क्योंकि आरक्षण अधिनियम की धारा 4 (ए) को संशोधन अधिनियम द्वारा हटा दिया गया था। उल्लेखनीय है कि आरक्षण अधिनियम की धारा 4 (ए), जैसा कि संशोधन से पहले थी, में कहा गया था कि अधिनियम की धारा 3 का प्रावधान संविधान की छठी अनुसूची में निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों में स्थापित सी. ई. आई. पर लागू नहीं होगा।यह प्रस्तुत किया गया था कि संशोधन अधिनियम पेश करके आरक्षण अधिनियम में संशोधन करने में विधानमंडल का इरादा मणिपुर राज्य जैसे गैर-आदिवासी राज्यों में स्थित सी. ई. आई. पर संशोधन लागू करना नहीं था और यह अभिव्यक्ति

बी.

सी.

“आरक्षण अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तुरंत पहले की तारीख को, जैसा कि आरक्षण अधिनियम की धारा 3 के दूसरे परंतुक में उपयोग किया गया है।

अधिनियम, मूल अधिनियम की धारा 3 में उपयोग की गई और धारा 2 (बी) में परिभाषित "वार्षिक अनुमत शक्ति" अभिव्यक्ति को योग्य बनाता है, न कि आरक्षण की सीमा को।

डी.

14. संक्षेप में, अपीलार्थियों के लिए विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि संशोधन अधिनियम यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था कि मूल अधिनियम की धारा 3 में निर्धारित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण को क्रमशः 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत के मानक से कम नहीं किया जाना चाहिए।बल्कि, संशोधन

अधिनियम में विचार किया गया है कि मूल अधिनियम की धारा 3 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आरक्षण के प्रतिशत को अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आरक्षण के प्रतिशत के नुकसान तक बढ़ाया जा सकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सामूहिक रूप से लिए गए 50 प्रतिशत आरक्षण की समग्र सीमा किसी भी तरह से बाधित न हो।

ई.

एफ.

15. श्री संजय जैन, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, प्रत्यर्थी संख्या 5-भारत संघ की ओर से पेश हुए, जिसने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माध्यम से एक जवाबी हलफनामा दायर विद्वान है।अपने जवाबी हलफनामे में, भारत संघ ने इस आशय के विवादित फैसले में वापस किए गए निष्कर्षों का समर्थन किया है कि एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए आरक्षण का प्रतिशत मौजूद था और आरक्षण अधिनियम के प्रारंभ से पहले प्रत्यर्थी संख्या 1-विश्वविद्यालय द्वारा लागू किया जा रहा था, जब यह एक 'राज्य विश्वविद्यालय' था। अनुसूचित जनजातियों के लिए 31 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 2 प्रतिशत जिसे प्रतिशत के निर्धारण के लिए अपनाया जाना आवश्यक था

जी.

एच.

विश्वविद्यालय में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण का प्रतिशत अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए सामूहिक रूप से लिए गए आरक्षण के प्रतिशत तक सीमित किया जाना था, परंतुक कि यह आरक्षण अधिनियम की संशोधित धारा 3 के दूसरे परंतुक के खंड (ए) के तहत प्रदान की गई वार्षिक अनुमत संख्या के 50 प्रतिशत से कम हो। यह भारत संघ का रुख है कि प्रत्यर्थी संख्या 1-विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण का प्रतिशत क्रमशः 2 प्रतिशत, 31 प्रतिशत और 17 प्रतिशत सही ढंग से निर्धारित किया गया है, क्योंकि यही प्रतिशत आरक्षण अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से तुरंत पहले लागू था।

बी.

सी.

16. एस. टी. श्रेणी के उम्मीदवार प्रत्यर्थी संख्या 7 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री आशुतोष दुबे ने प्रत्यर्थी संख्या 5-भारत संघ द्वारा लिए गए रुख का समर्थन किया है और कहा है कि अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए न्यूनतम 15 प्रतिशत आरक्षण की बहाली के लिए अपीलार्थियों की याचिका अस्वीकार्य है।उन्होंने तर्क दिया कि प्रत्यर्थी संख्या 1-विश्वविद्यालय एक 'केंद्रीय विश्वविद्यालय' है और केंद्र सरकार के नियमों और विनियमों द्वारा शासित है जो इस मामले में आरक्षण अधिनियम में परिवर्तित हो जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1-विश्वविद्यालय को केवल वर्ष 2005 तक 'राज्य विश्वविद्यालय' का दर्जा प्राप्त था और उस समय यह मणिपुर राज्य में आरक्षण के तत्कालीन प्रचलित नियमों का पालन कर रहा था। विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अनुसूचित जाति उम्मीदवारों के लिए 2 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए 31 प्रतिशत।हालाँकि, उक्त स्थिति तब बदल गई जब प्रत्यर्थी संख्या 1-विश्वविद्यालय को वर्ष 2005 में 'केंद्रीय विश्वविद्यालय' का दर्जा दिया गया और उसके बाद इसे आरक्षण अधिनियम के तहत शासित किया गया जो 3 जनवरी, 2007 से लागू हुआ।केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में नामित होने पर, प्रत्यर्थी संख्या 1-विश्वविद्यालय ने राज्य सरकार के आरक्षण मानदंडों को बंद कर दिया और आरक्षण अधिनियम की धारा 3 के तहत प्रदान किए गए आरक्षण मानदंडों का पालन करना शुरू कर दिया, यानी अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत। विद्वान अधिवक्ता ने स्पष्ट किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1-विश्वविद्यालय मूल अधिनियम की धारा 4 (ए) के तहत प्रदान की गई छूट खंड के तहत शामिल नहीं था जिसे बाद में निरस्त कर दिया गया था क्योंकि विश्वविद्यालय संविधान की छठी अनुसूची में संदर्भित "आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित संस्थान" नहीं है।संशोधन अधिनियम के अधिनियमन के बाद ही प्रत्यर्थी संख्या 1-विश्वविद्यालय ने अपनी आरक्षण नीति में बदलाव किए और संशोधन के बाद जोड़ी गई धारा 3 के परंतुक के अनुपालन में विश्वविद्यालय ने 2 प्रतिशत ए आरक्षित करके आरक्षण के पहले के मानदंडों को बहाल किया।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

अनुसूचित जाति के लिए सीटें, अनुसूचित जनजाति के लिए 31 प्रतिशत सीटें और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 17 प्रतिशत सीटें। प्रत्यर्थी संख्या 7 के विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत करते हुए निष्कर्ष निकाला कि विवादित निर्णय सुधार की स्थिति को प्रस्तुत करता है और इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देता है।

17. प्रत्यर्थी संख्या 8,9 और 10 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शिवेंद्र द्विवेदी ने भी विवादित निर्णय में वापस किए गए निष्कर्षों का समर्थन किया है और प्रस्तुत किया है कि संशोधन अधिनियम के अनुपालन में, प्रत्यर्थी संख्या 1-विश्वविद्यालय ने प्रवेश में सीटों के आरक्षण के अनुपात की सही गणना की है जो अनुसूचित जनजाति के लिए 31 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिए 2 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 17 प्रतिशत है।उन्होंने प्रस्तुत किया कि मूल अधिनियम की धारा 3 के दूसरे परंतुक के खंड (ए) के अंतिम भाग को सरल रूप से पढ़ने से, जैसा कि संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया है, यह स्पष्ट होता है कि मणिपुर राज्य और धारा 2 (आई. ए.) में उल्लिखित अन्य राज्यों में पर्याप्त आदिवासी आबादी को देखते हुए, जो "निर्दिष्ट पूर्वोत्तर क्षेत्र" को परिभाषित करता है, आरक्षण अधिनियम के अधिनियमन से तुरंत पहले प्रचलित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए आरक्षण का अनुपात कम नहीं किया जाएगा।साथ ही, आरक्षण का उक्त अनुपात मूल अधिनियम की धारा 3 के खंड (i), (ii) और (iii) के तहत प्रदान किए गए आरक्षण के अनुपात के सामान्य नियम द्वारा नियंत्रित नहीं होगा। विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि संशोधन अधिनियम केवल आरक्षण अधिनियम की धारा 3 में विसंगति को सुधारने के लिए आवश्यक था, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए एक व्यापक आरक्षण प्रदान किया गया था, जबकि इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि मणिपुर राज्य के मामले में, 42 प्रतिशत से अधिक आबादी आदिवासी है, जबकि केवल 3.4 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जाति श्रेणी के अंतर्गत आती है।उन्होंने यह स्पष्ट करना चाहा कि दूसरा परंतुक मूल अधिनियम की धारा 3 में धारा 3 के खंड (i), (ii) और (iii) में दिए गए आरक्षण के सामान्य नियम के लिए एक अपवाद बनाने के लिए जोड़ा गया था और प्रत्यर्थी संख्या 1-विश्वविद्यालय उक्त परंतुक के तहत पूरी तरह से शामिल है क्योंकि आवंटन के उद्देश्यों के लिए उक्त विश्वविद्यालय में कोई राज्य सीट आरक्षित नहीं है जो अधिनियम की धारा 3 में जोड़े गए दूसरे परंतुक के आवेदन के लिए परंतुक पहली आवश्यकता है। 18.प्रत्यर्थी संख्या 6 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता-हालाँकि, यू. जी. सी. ने अपीलार्थियों के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलों को स्वीकार किया है और प्रस्तुत किया है कि प्रत्यर्थी संख्या 1-विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या में कमी आरक्षण अधिनियम के जनादेश के विपरीत है। यह उनका निवेदन है कि संशोधन अधिनियम में ओ. बी. सी. श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण को इस हद तक कम करने का प्रावधान है कि किसी भी आरक्षण की आवश्यकता नहीं है।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

उक्त श्रेणी के लिए आरक्षण केवल यह सुनिश्चित करने के लिए है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कुल सीटों में कोई कमी न हो।संशोधनों के आधार पर मूल अधिनियम की धारा 3 में शामिल प्रावधानों का उल्लेख करते हुए, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवश्यकता

कि "अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण की सीमा को निर्दिष्ट पूर्वोत्तर क्षेत्रों में केंद्रीय शिक्षा संस्थानों के संबंध में कम नहीं किया जाएगा" लागू होता है।

बी.

न केवल मूल अधिनियम की धारा 3 से जुड़े दूसरे परंतुक के खंड (ए) में अनुध्यात स्थिति के लिए, बल्कि दूसरे परंतुक के खंड (बी) के लिए भी।दूसरे शब्दों में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण को आरक्षण अधिनियम, 2006 के लागू होने से पहले या उक्त अधिनियम के बाद प्रचलित सीमा से कम नहीं किया जाना चाहिए, जिसका अर्थ है कि अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण 15 प्रतिशत से कम नहीं हो सकता है और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण 7.5 प्रतिशत से कम नहीं हो सकता है।इसलिए, प्रत्यर्थी संख्या 1-विश्वविद्यालय द्वारा अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए केवल 2 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान अभिभावक अधिनियम की धारा 3 के अधिदेश का उल्लंघन करता है।

सी.

डी.

19. हमने विवादित फैसले पर विचार किया है और पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए बहुआयामी तर्कों पर विचारपूर्वक विचार किया है।

20. यह विवाद में नहीं है कि प्रत्यर्थी संख्या 1-विश्वविद्यालय की स्थापना मूल रूप से वर्ष 1980 में मणिपुर विश्वविद्यालय अधिनियम संख्या 8,1980 के तहत एक 'राज्य विश्वविद्यालय' के रूप में की गई थी।एक राज्य विश्वविद्यालय के रूप में, प्रत्यर्थी संख्या 1-विश्वविद्यालय विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अनुसूचित जाति उम्मीदवारों के लिए 2 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए 31 प्रतिशत सीटें आरक्षित करके मणिपुर राज्य आरक्षण नीति का पालन कर रहा था।13 अक्टूबर, 2005 को प्रत्यर्थी संख्या 1-विश्वविद्यालय को 2005 के मणिपुर विश्वविद्यालय अधिनियम संख्या 54 के तहत 'केंद्रीय विश्वविद्यालय' में परिवर्तित कर दिया गया था।धर्मांतरण के बाद भी, प्रत्यर्थी संख्या 1-विश्वविद्यालय ने मणिपुर राज्य आरक्षण नीति का पालन करना जारी रखा, अर्थात, शैक्षणिक सत्र तक प्रवेश के लिए अनुसूचित जाति के लिए 2 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लिए 31 प्रतिशत।3 जनवरी, 2007 को आरक्षण अधिनियम लागू हुआ।इसके अनुसार, प्रत्यर्थी संख्या 1-विश्वविद्यालय ने आरक्षण अधिनियम की धारा 3 में निर्धारित आरक्षण नीति का पालन करना शुरू कर दिया, जो कि शैक्षणिक सत्र के लिए अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत है।19 जून, 2012 से लागू संशोधन अधिनियम के आधार पर आरक्षण अधिनियम में संशोधन के बाद आरक्षण में बदलाव आया।

ई.

एफ.

जी.

एच.

499

श्री क्षेत्रीमयम महेशकुमार सिंह बनाम मणिपुर विश्वविद्यालय [हिमा कोहली, जे.] ए.

ए.

21. आरक्षण अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता को केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2010 6 में संलग्न उद्देश्यों और कारणों के विवरण पर एक नज़र से देखा जा सकता है, जो तैयार संदर्भ के लिए नीचे दिया गया हैः

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

बी.

केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 अन्य बातों के साथ-साथ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के

प्रवेश में पंद्रह प्रतिशत तक आरक्षण प्रदान करता है।, साढ़े सात प्रतिशत।और सत्ताईस प्रतिशत।क्रमशः केंद्र सरकार द्वारा स्थापित, अनुरक्षित या सहायता प्राप्त कुछ केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों को।इसमें कैलेंडर वर्ष, 2007 से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र से अधिकतम तीन साल की अवधि में ऐसे संस्थानों में सीटों की अनिवार्य वृद्धि का भी प्रावधान है।उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 में आगे यह प्रावधान किया गया है कि अधिनियम के प्रावधान संविधान की छठी अनुसूची में निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों में स्थापित संस्थानों सहित कुछ केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों पर लागू नहीं होते हैं।

सी.

डी.

2. यह ध्यान दिया जाता है कि कुछ केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान विशेष रूप से सिक्किम **(**लेकिन असम के गैर**-**आदिवासी क्षेत्रों को छोड़कर**)** सहित पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित हैं**,** जिनमें काफी आबादी है**,** और कुछ मामलों में मुख्य रूप से आदिवासी आबादी और बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय**,** लखनऊ**,** जो पचास प्रतिशत आरक्षण कर रहा है।उस विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले अधिनियम में निर्दिष्ट उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें**,** अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण की सीमा को कम करने में अपनी असमर्थता दिखा रही हैं**,** ताकि सत्ताईस प्रतिशत के आरक्षण के लिए रास्ता दिया जा सके।अधिनियम के तहत निर्धारित अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सीटों की संख्या। इसके अलावा**,** अधिनियम के मौजूदा प्रावधान संविधान की छठी अनुसूची में निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों में स्थित केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों को आरक्षण से छूट देते हैं।

ई.

एफ.

जी.

एच.

6 संक्षेप में 'संशोधन विधेयक'

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति**,** यदि कोई हो**,** लेकिन उपरोक्त अधिनियम को अधिनियमित करते समय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के मामले को छोड़कर इसका कोई इरादा नहीं था**,** जिन्हें संविधान के अनुच्छेद **15** के खंड **(5)** के संदर्भ में छूट दी गई है। इसके अलावा**,** कुछ केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों को अपने नियंत्रण से परे विभिन्न कारणों से

आवश्यक भौतिक और शैक्षणिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए तीन साल की समय-सीमा का पालन करने में कठिनाई हो रही है।

बी.

3. केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों को प्रभावी बनाने में विभिन्न केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों द्वारा सामना की जा रही उपरोक्त व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करना आवश्यक हो गया है। यह भी स्पष्ट करने का प्रस्ताव है कि अधिनियम का कार्यान्वयन वास्तव में कैलेंडर वर्ष 2008 से प्रभावी हुआ है न कि वर्ष 2007 से जैसा कि अधिनियम की धारा 6 में निर्दिष्ट किया गया है।

सी.

डी.

4. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है।" [जोर दिया गया]22. उपरोक्त विधेयक को मानव संसाधन विकास पर संसदीय स्थायी समिति 7 के समक्ष रखा गया, जिसने अपनी 234 वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे 26 फरवरी, 2011 को संसद के दोनों सदनों के समक्ष पेश किया गया था।स्थायी समिति ने आरक्षण अधिनियम में संशोधन के लिए उद्देश्यों और कारणों के विवरण पर ध्यान दिया, जैसा कि ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा व्यक्त आरक्षण अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में कुछ सी. ई. आई. द्वारा सामना की जाने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों पर भी ध्यान दिया।मूल अधिनियम की धारा 3 में संशोधन का प्रस्ताव करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को रिपोर्ट के पैरा 3.4 और 3.5 में संक्षेप में नीचे दिया गया हैः-

ई.

एफ.

" 3.4 समिति धारा 3 में प्रस्तावित संशोधन लाने के लिए विभाग द्वारा दिए गए निम्नलिखित स्पष्टीकरण पर ध्यान देती हैः-

जी.

(i) छठी अनुसूची में निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों में स्थित केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (सी. ई. आई.) में राज्य की सीटें, यदि कोई हों,

7 संक्षेप में 'स्थायी समिति' ए

एच.

संविधान उस सी. ई. आई. में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रवेश के मामले में संबंधित राज्य सरकार की आरक्षण नीति द्वारा शासित होगा।

(ii) ऐसे सी. ई. आई. में जहां कोई राज्य की सीट नहीं है, यदि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटें 15 प्रतिशत से अधिक हैं या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें 7.5 प्रतिशत से अधिक हैं या सी. ई. आई. में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें 22.5 प्रतिशत से अधिक हैं, लेकिन वार्षिक अनुमत संख्या के 50 प्रतिशत से कम हैं, तो ओ. बी. सी. के लिए आरक्षित सीटों का प्रतिशत ऐसी कमी तक सीमित रहेगा।
(iii) बिना किसी राज्य की सीट वाले सी. ई. आई. में, यदि सी. ई. आई. में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या दोनों के लिए आरक्षित सीटें वार्षिक स्वीकृत संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक हैं, तो सी. ई. आई. को ओ. बी. सी. के लिए कोई भी आरक्षण देने से छूट दी जाएगी। इसके अलावा, यदि ऐसा सी. ई. आई. सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित है, लेकिन असम के गैर-जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों का प्रतिशत अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तुरंत पहले की तारीख को प्राप्त होने वाले स्तर से कम नहीं किया जाएगा; जबकि अन्य क्षेत्रों में स्थित सी. ई. आई. के मामले में उस सी. ई. आई. में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों का प्रतिशत घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया जाएगा।

बी.

सी.

डी.

3.5 यद्यपि समिति धारा **3** में प्रस्तावित संशोधन से सहमत है**,** लेकिन यह इंगित करना चाहेगी कि राज्यों में **13** अन्य पिछड़ा वर्ग **(**ओ**.** बी**.** सी**.)** आरक्षण निर्धारित करने में वैचारिक कठिनाइयाँ हैं।जबकि एससी/एसटी आरक्षण निश्चित हो सकता है**,** यह ओ**.** बी**.** सी**.** आरक्षण है जो राज्य से राज्य में भिन्न हो सकता है।समिति इस तथ्य से भी अवगत है कि आरक्षण पर **50** प्रतिशत की सीमा और **27** प्रतिशत ओ**.** बी**.** सी**.** आरक्षण के बीच सुलह की जानी चाहिए।समिति का विचार है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण को एक अनिवार्य घटक के रूप में लेकर ओ**.** बी**.** सी**.** प्रतिशत तय किया जाना है।चूंकि आरक्षण की सीमा **50** प्रतिशत है**,** इसलिए एससी/एसटी आरक्षण को पूरा करने के बाद जो कुछ भी बचा है वह ओ**.** बी**.** सी**.** को जा सकता है।

ई.

एफ.

जी.

23. संविधान की छठी अनुसूची में निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों में स्थापित सी. ई. आई. को मूल अधिनियम की धारा 3 के आवेदन से छूट देने वाली धारा 4 के खंड (ए) को हटाने के कारणों पर निम्नलिखित तरीके से रिपोर्ट के पैरा और 3.8 में चर्चा की गईः-

एच.

" 3.7 यह खंड धारा 4 के खंड (ए) को हटाने का प्रयास करता है, जिससे संविधान की छठी अनुसूची में निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों में स्थापित सी. ई. आई. को मूल अधिनियम के लागू होने की तारीख से तुरंत पहले लागू अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नीति, यदि कोई हो, को लागू करने से गलती से दी गई छूट को वापस ले लिया जाता है।

बी.

3.8 प्रस्तावित संशोधन की आवश्यकता वाले कारकों के बारे में एक विशिष्ट प्रश्न पर, समिति को सूचित किया गया कि मौजूदा प्रावधान के अनुसार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नीति को जनजातीय क्षेत्रों में स्थापित सी. ई. आई. पर लागू नहीं माना जा सकता है।जबकि सरकार का इरादा ऐसे सी. ई. आई. को केवल ओ. बी. सी. के लिए शुरू किए गए 27 प्रतिशत आरक्षण को लागू करने से छूट देना था, इन संस्थानों को अनजाने में एससी/एसटी के लिए आरक्षण से छूट दे दी गई थी, यदि कोई हो, तो अधिनियम के लागू होने की तारीख से तुरंत पहले।

सी.

विभाग द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए, समिति प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार करती है ताकि छठी अनुसूची राज्यों में स्थापित सी. ई. एल. को नियंत्रित करने वाली विशिष्ट जमीनी वास्तविकताओं के संबंध में किसी भी अस्पष्टता को दूर किया जा सके।"

डी.

24. उल्लेखनीय है कि मेघालय उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने 20 अप्रैल, 2017 के फैसले के पृष्ठ 24 पर एकल न्यायाधीश द्वारा 1 सितंबर, 2015 के पहले के फैसले में दिए गए कारणों परंतुक में 234 वीं रिपोर्ट पर चर्चा की थी, जिसमें यह अभिनिर्धारित विद्वान गया था कि उक्त रिपोर्ट से लिए गए एक निष्कर्ष से, संशोधन के बाद मूल अधिनियम की धारा 3 में जोड़े गए दूसरे परंतुक को लागू करने के उद्देश्यों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के

उम्मीदवारों के लिए आरक्षण का प्रतिशत निर्धारित विद्वान जा सकता है, लेकिन अपीलीय न्यायालय उक्त तर्क से सहमत नहीं थी।

ई.

एफ.

25. यह अब समग्र नहीं है कि संसदीय समितियों/आयोगों द्वारा की गई रिपोर्ट और सिफारिशें जो एक क़ानून के अधिनियमन से पहले की जाती हैं, उनका उपयोग जहां भी आवश्यक समझा जाए, एक वैधानिक प्रावधान में अस्पष्ट शब्दों के अर्थ की व्याख्या करने के लिए बाहरी सहायक के रूप में किया जा सकता है।एक ऐतिहासिक तथ्य के अस्तित्व पर भी ध्यान दिया जा सकता है।साथ ही, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि ऐसी रिपोर्ट निर्णायक नहीं हैं और एक न्यायालय अपने स्वयं के निष्कर्षों और पक्षों द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्यों के आधार पर एक अलग निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए स्वतंत्र है।[ए का संदर्भ लें

जी.

एच.

503

श्री क्षेत्रीमयम महेशकुमार सिंह बनाम मणिपुर विश्वविद्यालय [हिमा कोहली, जे.] ए.

मैसूर राज्य बनाम आर. वी. बिदप **8,** आर. एस. नायक बनाम ए. आर. अंतुले **9** और कल्पना मेहता और अन्य।**v.** भारत संघ और अन्य **10]**।के लिए

हमारा उद्देश्य, हम मूल अधिनियम की धारा 3 को शामिल करके संशोधन के आलोक में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए आरक्षण की सीमा निर्धारित करने के विचार के साथ उक्त रिपोर्ट पर ध्यान देने का इरादा नहीं रखते हैं। हालाँकि, उक्त रिपोर्ट को उस पृष्ठभूमि को समझने के लिए एक उपयोगी उपकरण के रूप में माना जा सकता है जिसमें संशोधन अधिनियम पेश किया गया था और इस बात पर प्रकाश डाला जा सकता है कि आरक्षण अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव करने में विधायी अधिकारियों के साथ क्या वजन था।

बी.

26. संशोधन विधेयक में संलग्न उद्देश्यों और कारणों के विवरण, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा स्थायी समिति को प्रस्तुत पृष्ठभूमि टिप्पणियों और संसद में स्थायी समिति द्वारा प्रस्तुत 234 वीं रिपोर्ट से यह पता लगाया जा सकता है कि कुछ सी. ई. आई., विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित, जहां पूर्व-प्रमुख आदिवासी आबादी है, ने आरक्षण अधिनियम में निर्धारित अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए 27 प्रतिशत सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण की सीमा को कम करने में असमर्थता व्यक्त की। यह भी

देखा जा सकता है कि आरक्षण अधिनियम के प्रावधानों ने संविधान की छठी अनुसूची में निर्दिष्ट आदिवासी क्षेत्रों में स्थित सी. ई. आई. को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी आरक्षण देने से छूट दी, जो वास्तव में, अधिनियम को लागू करने के पीछे का उद्देश्य नहीं था।इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि पूर्वोत्तर राज्यों में जनसंख्या की संरचना को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण की सीमा निश्चित हो सकती है, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण अलग-अलग राज्यों में भिन्न हो सकता है।अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा और अन्य पिछड़ा वर्ग कोटा के लिए 27 प्रतिशत की सीमा का मिलान करने के विचार के साथ, संशोधन विधेयक को मुख्य रूप से मौजूदा अस्पष्टताओं को दूर करने और छठी अनुसूची राज्यों में स्थापित सी. ई. आई. द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए पेश किया गया था, ताकि उस क्षेत्र में एक बड़ी आदिवासी आबादी की आकांक्षाओं को समायोजित किया जा सके।

सी.

डी.

ई.

एफ.

27. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता को यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता है कि संशोधन अधिनियम को लागू करके आरक्षण अधिनियम में लाए गए संशोधन केवल संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले आदिवासी राज्यों की ओर निर्देशित थे

जी.

8 (1974) 3 एससीसी 337 9 (1984) 2 एससीसी 183 10 (2018) 7 एससीसी 1

एच.

और मणिपुर राज्य पर लागू नहीं किया जा सकता है, भले ही

"निर्दिष्ट पूर्वोत्तर क्षेत्र" अभिव्यक्ति की परिभाषा शुरू की गई

संशोधित धारा 2 (आई. ए.) के आधार पर मणिपुर राज्य शामिल है।न ही यह न्यायालय अपीलार्थियों की ओर से की गई प्रस्तुति से आश्वस्त है कि दूसरा परंतुक केवल यह सुनिश्चित

करने के लिए धारा 3 में डाला गया था कि मूल अधिनियम की धारा 3 (i) और (ii) में परंतुक किए गए आरक्षण का प्रतिशत अछूता रहेगा।इस तरह की प्रस्तुति को स्वीकार करना संशोधन अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य को नकारने के समान होगा, जिसे केवल मणिपुर राज्य सहित पूर्वोत्तर राज्यों में आरक्षण अधिनियम को लागू करने में सी. ई. आई. द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को हल करने के लिए अधिनियमित किया गया था।मूल अधिनियम की धारा 3 में जोड़े गए दो प्रावधान और कुछ नहीं बल्कि पूर्वोत्तर राज्यों की जनसांख्यिकी की मान्यता हैं।

बी.

सी.

"निर्दिष्ट उत्तर पूर्वी क्षेत्र" की छत्रछाया जिसमें एक है

पर्याप्त जनजातीय आबादी।28. यह उपरोक्त कारकों के आलोक में है कि विवादित निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 1-विश्वविद्यालय विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने में सीटों के आरक्षण की सीमा की गणना करने में सही था।, 31% अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए, अनुसूचित जाति उम्मीदवारों के लिए 2 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के लिए 17 प्रतिशत जो संशोधन अधिनियम के जनादेश के अनुरूप है। प्रत्यर्थी सं. 1-विश्वविद्यालय की उपरोक्त समझ अपीलार्थियों द्वारा दायर रिट याचिका के विरोध में उसके द्वारा दायर हलफनामे से भी परिलक्षित होती है, विशेष रूप से, इसके पैरा 5 और 9, जो तैयार संदर्भ के लिए नीचे निकाले गए हैंः

डी.

ई.

“5. कि**,** उत्तर के तहत रिट याचिका के पैराग्राफ नंबर **4** की सामग्री के जवाब में**,** यह प्रस्तुत किया जाता है कि केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान **(**प्रवेश में आरक्षण**)** संशोधन अधिनियम**, 2012** के प्रावधानों को देखते हुए आरक्षित श्रेणियों के संबंध में सीटों का आरक्षण**,** उम्मीदवारों को अनुसूचित जनजाति**,** अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के संबंध में क्रमशः **31** प्रतिशत**, 2** प्रतिशत और **17** प्रतिशत होना चाहिए।इस प्रकार**,** अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की गणना उक्त संशोधन अधिनियम के अनुसार की जानी चाहिए**,** और यह प्रधान अधिनियम यानी केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों **(**प्रवेश में आरक्षण**)** के प्रारंभ से पहले विश्वविद्यालय में प्रचलित आरक्षण का समान प्रतिशत था।

एफ.

जी.

अधिनियम**, 2006**।एससी/एसटी/ए के लिए सीटों का वितरण/विभाजन

एच.

आरक्षण के लिए उक्त अनुपात के आधार पर ओ. बी. सी./यू. आर. को मणिपुर विश्वविद्यालय के सभी विषयों के प्रमुखों और डीन की मंजूरी/सहमति प्राप्त करने के बाद 23-07-2014 के पत्र के माध्यम से मणिपुर के महामहिम राज्यपाल के सचिव को सूचित किया गया था।

XXX XXX XXX

बी.

9. कि**,** उत्तर के तहत रिट याचिका के पैरा नंबर **1** ओ की सामग्री के जवाब में**,** यह प्रस्तुत किया जाता है**,** जैसा कि पूर्वगामी पैराग्राफ में कहा गया है कि केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान **(**प्रवेश में आरक्षण**)** अधिनियम**;** मणिपुर विश्वविद्यालय द्वारा उक्त अधिनियम के अनुसार आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को सीटों का कोटा प्रदान करके शैक्षणिक सत्र से **2006** को अपनाया गया है। यह कहना है कि संशोधन अधिनियम**, 2012** के अधिनियमन के बाद अध्यादेश **5** का प्रावधान अस्तित्व में नहीं रहा और अधिनियम के प्रावधान को कानून के अनुसार लागू किया जाना**/**उस पर कार्रवाई की जानी है।**”**

सी.

डी.

[जोर दिया गया]29. हलफनामे में किए गए उपरोक्त कथनों से यह समझा जा सकता है कि आरक्षण अधिनियम की शुरुआत की तारीख से ठीक पहले की तारीख को, प्रत्यर्थी संख्या 1-विश्वविद्यालय प्रवेश के उद्देश्यों के लिए अनुसूचित जाति के लिए 2 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 31 प्रतिशत सीटें आरक्षित कर रहा था।अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह जोरदार तर्क दिया गया है कि शब्दों का अर्थ

ई.

“ 2006 के प्रारंभ की तारीख से तुरंत पहले की तारीख

एफ.

धारा 3 के दूसरे परंतुक के खंड (ए) में प्रयुक्त अधिनियम का अर्थ संशोधन अधिनियम के अधिनियमन से ठीक पहले की तारीख के रूप में लिया जाना चाहिए, अर्थात उस स्थिति को वापस लेना जो आरक्षण अधिनियम के लागू होने के समय प्रचलित थी। अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 27 प्रतिशत।हमारी राय में, ऐसी कोई भी व्याख्या संशोधन अधिनियम की जड़ पर प्रहार करेगी, जिसे आरक्षण अधिनियम की खामियों को दूर करने के लिए सामने आई अस्पष्टताओं को

दूर करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ बनाया गया था, अर्थात्, बाद में परिभाषित क्षेत्रों में स्थित सी. ई. आई. में प्रवेश पाने के अवसरों की तलाश करने वाले बड़ी संख्या में अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों की आकांक्षाओं को पूरा करने में असमर्थता।

जी.

“संशोधन अधिनियम में निर्दिष्ट पूर्वोत्तर क्षेत्र।

एच.

30. एक बार संशोधन अधिनियम के आधार पर मूल अधिनियम की धारा 3 में दो प्रावधान जोड़े जाने के बाद, मूल अधिनियम की धारा 3 के खंड (i), (ii) और (iii) में निर्धारित आरक्षण के सामान्य मानदंडों को उक्त प्रावधानों के संदर्भ में प्रतिबंधित करना पड़ा।जबकि पहला परंतुक संविधान की छठी अनुसूची में निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों में स्थित सी. ई. आई. में "राज्य की सीटें", यदि कोई हो, से संबंधित है, दूसरा परंतुक ऐसी स्थिति को संबोधित करता है जहां सी. ई. आई. में कोई राज्य की सीटें नहीं हैं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटें धारा 3 (अर्थात) के खंड (i) और (ii) के तहत निर्दिष्ट प्रतिशत से अधिक हैं।, 15% अनुसूचित जातियों के लिए सीटें और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5%, कुल 22.5% सीटें) या यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित संयुक्त सीटें खंड (i) और (ii) के तहत निर्दिष्ट प्रतिशत के योग से अधिक हैं।धारा 3 के दूसरे परंतुक में दो सवारों को भी जोड़ा गया है, अर्थात् खंड (ए) और (बी)।दूसरे परंतुक के खंड (ए) में ऐसी स्थिति पर विचार किया गया है जहां दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट सीटें संशोधन अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तुरंत पहले की तारीख को वार्षिक अनुमत संख्या के 50 प्रतिशत से कम हों। खंड (बी) एक ऐसी स्थिति के लिए परंतुक करता है जहां ऐसी सीटें संशोधन अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तुरंत पहले की तारीख को वार्षिक अनुमत संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक हों। दूसरे परंतुक के खंड (ए) में विचार की गई स्थिति में, मूल अधिनियम की धारा 3 (iii) के तहत ओ. बी. सी. उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होने के लिए आवश्यक सीटों के कुल प्रतिशत पर एक प्रतिबंध लगाया गया है, जिसमें उन्हें मूल अधिनियम की धारा 3 के खंड (i) और (ii) में निर्दिष्ट सीटों के संयुक्त प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध शेष सीटों तक सीमित कर दिया गया है, जो वार्षिक अनुमत संख्या के 50 प्रतिशत से कम है।लेकिन खंड (बी) में विचार की गई परिस्थितियों में, अधिनियम इस तथ्य को मान्यता देता है कि मूल अधिनियम की धारा 3 के खंड (iii) के तहत ओ. बी. सी. उम्मीदवारों के लिए कोई सीट आरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, यह इस शर्त के अधीन है

कि एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए सीटों के आरक्षण की सीमा को कम नहीं किया जाएगा जब यह "निर्दिष्ट पूर्वोत्तर क्षेत्र" में स्थापित सीईआई की बात आती है।यह दर्शाता है कि संशोधन अधिनियम का अंतर्निहित उद्देश्य उम्मीदवारों के एक समूह के लिए आरक्षण के माध्यम से सीटों का एक विशेष प्रतिशत सुरक्षित करना था और संशोधित धारा 3 के दूसरे परंतुक के खंड (ए) और (बी) में विचार की गई परिस्थितियों के आधार पर ओ. बी. सी. उम्मीदवारों के लिए सीटों की सीमा के लिए कुछ जगह छोड़ना था।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

31. तत्काल मामले में, प्रत्यर्थी संख्या 1-विश्वविद्यालय ने अपने हलफनामे में स्पष्ट किया है कि आरक्षण अधिनियम के शुरू होने से पहले, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण का प्रचलित प्रतिशत ए

एच.

यह क्रमशः 31 प्रतिशत और 2 प्रतिशत था।अपीलार्थी द्वारा इसके विपरीत कुछ भी सामने नहीं लाया गया है।यह स्थिति होने के कारण, हम इस विवादित निर्णय में दिए गए निष्कर्षों से पूरी तरह सहमत हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 1-विश्वविद्यालय ने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के संबंध में क्रमशः 31 प्रतिशत, 2 प्रतिशत और 17 प्रतिशत सीटें आरक्षित करके आरक्षण अधिनियम के प्रारंभ से तुरंत पहले प्राप्त स्थिति पर वापस लौटने में सही था, जो मणिपुर राज्य आरक्षण नीति के अनुरूप था।

बी.

32. अपीलार्थियों के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि प्रत्यर्थी संख्या 1-विश्वविद्यालय मूल अधिनियम की धारा 3 के खंड (i) और (ii) के तहत प्रदान किए गए मानदंडों का पालन करने के लिए एक अधिदेश के तहत था, जबकि संशोधन अधिनियम के आधार पर उक्त प्रावधान में जोड़े गए प्रावधानों को पूरी तरह से मंजूरी देते हुए, जो विद्वान अधिवक्ता के

अनुसार, केवल ओ. बी. सी. उम्मीदवारों के लिए आरक्षित की जाने वाली सीटों का प्रतिशत निर्धारित करने के लिए लागू किया जा सकता था, योग्यता से रहित है और अस्वीकार कर दिया गया है।हमारे विचार से, विद्वान एकल न्यायाधीश यह टिप्पणी करने में पूरी तरह से सही हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण का प्रतिशत परंतुक करने और धारा 3 के दूसरे परंतुक के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटों का प्रतिशत परंतुक करने के लिए सूत्र उसी स्रोत से एकत्र किए जाने चाहिए और कोई भी अन्य व्याख्या अनिश्चितता का कारण बनेगी।

सी.

डी.

ई.

33. इसे अलग तरह से रखने के लिए, ओ. बी. सी. उम्मीदवारों के लिए आरक्षण कोटा निर्धारित करने की अवधि का संदर्भ बिंदु अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के समान होना चाहिए क्योंकि ओ. बी. सी. उम्मीदवारों के लिए आरक्षण कोटा तैयार करने के लिए अनिवार्य रूप से पहली बार में यह पता लगाने की आवश्यकता होगी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए वार्षिक अनुमत संख्या के 50 प्रतिशत और संयुक्त मौजूदा प्रतिशत के बीच क्या अंतर होगा, जैसा कि आरक्षण अधिनियम के शुरू होने की तारीख से ठीक पहले की तारीख को प्राप्त किया गया था। दोनों मुद्दे इतने परस्पर जुड़े हुए हैं कि ओ. बी. सी. उम्मीदवारों के लिए आरक्षण का प्रतिशत निर्धारित करने के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटों का प्रतिशत निर्धारित करने की कवायद शुरू करनी होगी, जो सभी मूल अधिनियम की धारा 3 में जोड़े गए दूसरे परंतुक के चार कोनों के भीतर हैं। संशोधन के बाद जोड़ी गई धारा 3 के दूसरे परंतुक को सौंपी जाने वाली कोई अन्य व्याख्या, परंतुक को ही अव्यवहारिक और निरर्थक बना देगी और इसलिए, इसकी अनुमति नहीं है।इस प्रकार, हम यह स्पष्ट करते हैं कि आरक्षण के सामान्य नियमों को खंड (i), (ii) और (iii) में समाहित किया गया है।

एफ.

जी.

एच.

मूल अधिनियम की धारा 3। लेकिन जब संशोधन अधिनियम द्वारा शुरू की गई धारा 2 (आई. ए.) में वर्गीकृत "निर्दिष्ट पूर्वोत्तर क्षेत्र" की परिभाषा के तहत आने वाले राज्यों में स्थापित सी. ई. आई. की बात आती है, तो धारा 3 में जोड़े गए दो नए प्रावधान आरक्षण के मानदंडों को नियंत्रित करेंगे, जो मुख्य प्रावधान की तुलना में एक अलग मानदंड निर्धारित करते हैं और इस बात पर ध्यान दिए बिना लागू होंगे कि वे संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में स्थित हैं या नहीं।

बी.

34. उपरोक्त कारणों से, वर्तमान अपील विफल हो जाती है और विवादित निर्णय को बरकरार रखा जाता है।हम विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए इस विचार का समर्थन करते हैं कि आरक्षण अधिनियम में संशोधन के बाद, प्रत्यर्थी संख्या 1-विश्वविद्यालय को अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 2 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 31 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 17 प्रतिशत के आरक्षण मानदंडों का पालन करना था, जो संशोधन अधिनियम के आधार पर जोड़े गए आरक्षण अधिनियम की धारा 3 के दूसरे परंतुक के अनुरूप है।

सी.

35. पक्षकारों को अपना खर्च वहन करने के लिए छोड़ते हुए अपील को तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

डी.

देविका गुजराल

याचिका खारिज कर दी गई।

ई.

एफ.

जी.

एच.